## न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी : 88 / 2018**

**RCMS No. 2018/00449**

| प्रार्थी:– | बनाम | अप्रार्थीगण:– |
|---|---|---|
| 1 छोगीबाई पत्नी गुलाबराम जाति मेघवाल निवासी सेसली तहसील बाली | | 1. गोमाराम पुत्र हीराजी जाति जणवा चौधरी निवासी सेसली<br>2. ग्राम पंचायत सेसली जरिये सरपंच |

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम**

**उपस्थिति –**

श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 31/12/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, सेसली द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 18.10.1995 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई मिसल कायम की एवं न ही पंचायत कोरम के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही की। पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव लिया गया, उसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम भूमि आवंटन ही नहीं किया गया, इसके बावजूद भी बिना किसी आधार के अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल एवं पट्टा पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव रजिस्टर में अंकित प्रविष्ठियों से इसका मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 18.10.1995 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, उक्त दिनांक को पंचायत कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 पारित किया जाकर कुल 21 व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टे दिये जाने के आदेश पारित किए, उन 21 व्यक्तियों में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत कोरम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने की स्वीकृति पारित हुए बिना ही विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार जारी पट्टे को किसी भी रूंप में समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सेसली द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 18.10.1995 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली